न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 13 8 2018

प्रकरण संख्या :- 115/18

1- गोटू पिता देवी जाति बलाई निवासी देवरीया तहसील बिजोलिया

......................प्रार्थी

बनाम

1- सोरमबाई पत्नि सुरा भील नि. धतुरिया
2. मांगीलाल पिता नन्दा भील नि. धतुरिया
3. फोरन पिता सुरा भील नि. धतुरिया
4 लादुलाल पिता सुरा भील नि. धतुरिया

..............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 — 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 31/1/19

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री निखिल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम देवरीया पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 11 रकबा 5-06 बीघा भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2075 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजोलिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर रिपोर्ट 30 दिवस में पेश करे अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम देवरीया पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 11 रकबा 5-06 बीघा बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राज़कोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner